न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 39 / 2021

उनवान

मीरा पत्नी प्रेम सिंह जाति रावत निवासी ग्राम अंसरी, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. कैलाश पुत्र चन्द्रा,
2. रेवता पुत्र चन्द्रा,
3. हरि सिंह पुत्र चन्द्रा,
4. .गैना पुत्र बीरमा,
5. घीसी पत्नी बीरमा,
6. गोकन पुत्र आसू,
7. शेर पुत्र आसू,
8. पीथा पुत्र अन्ना,
9. पेम सिंह पुत्र भागू,
10. केसा पुत्र भागू,
11. सुवा पुत्र उगमा,
12. सज्जन पुत्र उगमा जाति रावत नि. असंरी, नसीराबाद,
13. मैनेजर यूनियन बैंक आर्फ इण्डिया शाखा लीडी, पीसांगन,
14. मैनेजर यूनियन बैंक आर्फ इण्डिया शाखा भवानीखेडा, नसीराबाद,
15. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :–1 से 14 अनुपस्थित, 15 जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 11.7.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम असंरी प. म. भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.43 की आराजी के मूल खातेदार गैना पुत्र बीरमा, घीसी पत्नी बीरमा (प्रतिवादी संख्या 4 व 5) व खातेदार चन्द्रा पुत्र अन्ना जिसकी मृत्यु हो गयी है, के वारिस (प्रतिवादी संख्या 1 से 3) व खातेदार भागू पुत्र अन्ना के वारिस (प्रतिवादी संख्या 9 से 11) व पीथा पुत्र अन्ना (प्रतिवादी संख्या 8) आसू पुत्र अन्ना के वारिस (प्रतिवादी संख्या 6 व 7) व [illegible]मा (प्रतिवादी संख्या 12) के द्वारा वादी मीरा पत्नी प्रेम सिंह को दिनांक [illegible]14 को आराजी मुतनाजा विक्रय की गयी। विक्रय दिनांक से केता/वादी [illegible] काश्त चला आ रहा है। विक्रय के बाद आराजी मुतनाजा का [illegible] विक्रय पत्र की पालना में वादी के नाम नही किया गया व प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 13 व 14 से ऋण प्राप्त [illegible] भूमि बैंक के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पास रहन अंकन करवा दी। भूमि रहन होने के कारण अराजी मुतनाजा का नामान्तकरण वादी के नाम दर्ज नही हो पा रहा है। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 14 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी :–

अधिवक्ता वादीने राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम ग्राम असंरी प. म. भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.43 की आराजी के मूल खातेदार गैना पुत्र बीरमा, घीसी पत्नी बीरमा,चन्द्रा पुत्र अन्ना, भागू पुत्र अन्ना, पीथा पुत्र अन्ना, आसू पुत्र अन्ना वसज्जन सिंह पु. उगमा के द्वारा वादी मीरा पत्नी प्रेम सिंह को दिनांक 24.02.2014 को आराजी मुतनाजा विक्रय की गयी। उक्त विक्रय पत्र पंजीबद्व है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता हैं। प्रतिवादीगण विक्रता/वारिस है जिनके द्वारा वाद के तथ्यों को कोई खण्डन नही किया हैं वादी ने उक्त आराजी 24.02.2014 को क्रय की थी। विक्रय की गबयी आराजी पर प्रतिवादी संख्या 13 व 14 द्वारा प्रतिवादीगण को ऋण दिये जाने के कारण उक्त आराजी का नामान्तकरण वादी के नाम अंकित नही किया गया। प्रतिवादी संख्या 13 व 14 को उक्त आराजी खसरा नम्बर 124 रकबा 0.43 पर प्रतिवादीगण को ऋण देने का कोई विधिक अधिकार नही था। आराजी मुतनाजा पर बैंक ऋण का वादी के हितों पर कोई प्रभाव नही है। प्रतिवादी संख्या 13 व 14 प्रतिवादीगण की अन्य खातेदारी आराजी से अपने ऋण की वसूली कर सकते है। प्रतिवादीगण द्वारा आज दिवस तक विक्रय पत्र के विरूद्व कोई चाराजोही नही की है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उसके कथनों की ताईद होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के प्रावधान अनुसार विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। आराजी मुतनाजा वादी की विधिक क्रयशुदा है। राज0 पैरोकार द्वारा भी वाद का खण्डन नही किया गया है। 8वादी आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः ग्राम असंरी प. म. भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.43 की आराजीपर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मीरा बनाम केलाश

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर –39 / 2021

पेश करने की दिनांक – 06.04.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम असंरी प. म. भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.43 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11 माह 7 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:12 IST
Reason: SelfAttested